राजस्थान सरकार
चिकित्सका शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प0 1(87)एमई / ग्रुप–1 / 13 पार्ट–1

जयपुर, दिनांक 12 DEC 2019

आदेश

माइक्रोबायोलोजी विशिष्ठता के चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में (वर्ष 2019–20) डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 खख के उप नियम–5 के अन्तर्गत गठित डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की दिनांक 13.09.2019 को बैठक आयोजित की गई थी। कार्मिक (क–3 / शिकायत) विभाग से तत्समय प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ. नवीन सक्सैना, आचार्य, माइक्रोबायोलोजी विभाग के विरूद्ध FIR संख्या 204 / 12 एवं 180 / 12 विचाराधीन थी, जिसके कारण डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा डॉ. सक्सैना की आचार्य से वरिष्ठ आचार्य के पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुशंषा बंद लिफाफे में रखी गई। कार्मिक (क–3 / शिकायत) विभाग से वर्तमान में प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ. सक्सैना के विरूद्ध FIR संख्या 204 / 12 एवं 180 / 12 में ब्यूरो द्वारा FR लगा दी गई है। फलस्वरूप डॉ. सक्सैना के विरूद्ध वर्तमान में कोई DE/PE/FIR/Complaint विचाराधीन नही है। इस कारण इनकी पदोन्नति के संबंध में अनुशंषा का सीलबन्द लिफाफा नियमानुसार खोला गया। कमेटी द्वारा डॉ. सक्सैना को वरिष्ठ आचार्य के पद पर पदोन्नत करने की अनुशंषा की गई है।

अतः डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंषा पर डॉ. सक्सैना को उसके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति उपरान्त डॉ. सक्सैना अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगेः–

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	पदोन्नति पद	पदोन्नति तिथि	पदोन्नति वर्ष
1.	डॉ. नवीन सक्सैना	आचार्य, माइक्रोबायोलोजी	वरिष्ठ आचार्य, माइक्रोबायोलोजी	01.04.2019	2019–20

आज्ञा से

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा / जयपुर / अजमेर / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
7. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(शिव शंकर अग्रवाल)
सहायक शासन सचिव